प्रेस विज्ञप्ति

10.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स नेमोम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेमोम, तिरुवनंतपुरम और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच के सिलसिले में 07.11.2025 को तिरुवनंतपुरम में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने मेसर्स नेमोम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेमोम, तिरुवनंतपुरम और अन्य के खिलाफ केरल पुलिस द्वारा दर्ज 24 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक की प्रबंध समिति ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया और जनता से एकत्रित जमा राशि वापस नहीं की, जिससे जमाकर्ताओं को वित्तीय नुकसान हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) (आईपीसी की धारा 420 के अनुरूप) के अंतर्गत पंजीकृत अपराध पीएमएलए, 2002 की अनुसूची के भाग ए के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं।

जाँच के दौरान, पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज जमाकर्ताओं के बयानों से पता चला कि सदस्यों ने अपनी बचत बैंक में जमा की थी, लेकिन बार-बार अनुरोध के बावजूद, उन्हें निकासी से वंचित कर दिया गया। तत्कालीन प्रबंध समिति द्वारा वित्तीय प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर चिन्ताएं व्यक्त की गईं।

आगे की जाँच में गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघन सामने आए, जिनमें अधिनियम, नियमों और परिपत्रों का उल्लंघन करते हुए जमा स्वीकार करना और ऋण स्वीकृत करना शामिल था। सहकारी समिति के रजिस्ट्रार की दिनांक 08.08.2025 की अंतिम रिपोर्ट में 50 करोड़ रुपये तक की धनराशि के गबन, जाली दस्तावेज़ तैयार करने, अनुमत सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत करने, धनराशि का दुरुपयोग और समग्र वित्तीय कुप्रबंधन का संकेत दिया गया, जिसके कारण बैंक जमा देनदारियों का भुगतान करने में विफल रहा। यह भी पता चला कि बैंक घोटाले के संबंध में अब तक 380 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 368 को आगे की जाँच के लिए राज्य अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है।

अपराध की आय का पता लगाने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक के पदाधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों से जुड़े पाँच परिसरों में समन्वित तलाशी अभियान चलाया। बैंक परिसर से बड़ी संख्या में मैनुअल रिकॉर्ड बरामद किए गए। एक व्यक्ति के नाम पर बनाए गए कुछ फर्जी सावधि जमा प्रमाणपत्र, जिनके आधार पर बैंक और एक अन्य वित्तीय संस्थान से बड़े पैमाने पर ऋण लिए गए थे, ज़ब्त किए गए। जमाकर्ताओं और डिफ़ॉल्ट ऋण खातों से संबंधित हार्ड डिस्क डेटा फोरेंसिक जाँच के लिए प्राप्त किया गया है।

एक पूर्व सचिव/निदेशक के परिसर से लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की 15 मूल सावधि जमा रसीदें और संपत्ति के दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। पूर्व अध्यक्ष के परिसर से गिरवी रखे गए दस्तावेज़ों से संबंधित रिकॉर्ड की जाँच की गई और उनका बयान दर्ज किया गया। संबंधित उधारकर्ता, जिसके बारे में

बताया गया है कि उसने लगभग 7.2 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, के परिसर से कई संस्थानों से अचल संपत्तियों और संपार्श्विक प्रतिभूतियों से संबंधित दस्तावेज़ बरामद किए गए और उसका बयान दर्ज किया गया।

जब्त किए गए दस्तावेजों और सामग्रियों का विश्लेषण धन के स्रोत, वित्तीय संबंधों और सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है।

आगे की जाँच जारी है।